FORM III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत..मुकाम....

महेन्द्र .... बनाम गिरधारी वगैरा

किस्म मुकदमा.. मु. नं. GCMS-2022/397 102/2022 सन्....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
18/6	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25 को पेश हो।
3/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/09/25 को पेश हो।
15/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हो।
24/09/2025	

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया किन्तु [illegible] ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने खातेदारान द्वारा [illegible] हिस्से पर लिये गये रहन को जमा करवाने के उपरान्त ही खाता विभाजन किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष ने

Signature Not Verifie
Digitally signed by Rajvee
Yadav
Date: 2025.10.06 16:55:2
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही की हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:55:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. महेन्द्र पुत्र हरचन्द
2. सीमा कौर पत्नि हरचन्द जाति जाट निवासी ढाणी भागासरपंच की तन ठीकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. गिरधारी पुत्र भागुराम वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 102 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री होशियार सिंह बड़सरा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री लोकेन्द्र गुप्ता एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:55:22 IST
Reason: SelfAttested